अति महत्वपूर्ण

संख्याः शिक्षा–एच(1)बी(15)1/2009–महत्वपूर्ण निर्देश
निदेशालय उच्च शिक्षा
हिमाचल प्रदेश
दिनॉक शिमला–171001, 30/1/2017

शिक्षा निदेशालय उच्च शिक्षा हि०प्र०
30 JAN 2017
शिमला - 1

सेवा में

1. समस्त उप निदेशक उच्च शिक्षा
   हिमाचल प्रदेश

2. प्राचार्य,
   समस्त राजकीय महाविघालय,
   हिमाचल प्रदेश

3. ग्रुप कमाण्डर, एन.सी.सी. मुख्यालय
   शिमला

विषयः– दिनॉक 15.05.2003 के उपरान्त नियुक्त समस्त कर्मचारियों को सी0पी0एफ0 नम्बर आबंटित करने व उनके जी.पी.एफ. शेयर ब्याज सहित उसमें स्थानान्तरित करने बारे ।

ज्ञापनः

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि विभाग के ध्यान में आया है कि विभाग में कार्यरत कुछ एक आहरण एवं वितरण अधिकारी उन कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि अंशदान भी काट रहे है जो कर्मचारी दिनॉक 15.05.2003 के उपरान्त सरकारी सेवा में नियुक्त हुये है, जिसके परिणाम स्वरूप विभाग एवं उच्च कार्यालयों को सरकार स्तर पर असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और साथ में सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा निवृति/अकस्मात् मृत्यु के बाद इस तरह के मामले निपटाने में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जिस हेतु इस तरह के मामलो को ठीक करने हेतु कई महीनों का समय भी लग जाता है ।

अतः इस विषय में आपको निर्देश दिये जाते है कि दिनॉक 15.05.2003 के बाद नियुक्त समस्त कर्मचारियों का जी0पी.एफ0 बन्द किया जाए और प्रान अलॉट कराके सी.पी.एफ0 शेयर की गणना करके खजाना अधिकारी से सत्यापित कराके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए । साथ में आपको यह भी निर्देश दिये जाते है कि उक्त दिशा निर्देशों को तुरन्त अपने अधीनस्थ समस्त शिक्षण संस्थानों/कार्यालयों को अग्रिम कार्यवाही हेतु परिचालित करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुर्नावृति न हो अन्यथा इस प्रकार की गलती के लिए स्वंय आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेवार होगें।

कृप्या इस मामले में व्यक्तिगत रूचि लें ।

निदेशक उच्च शिक्षा
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठॉकन समसंख्यक दिनॉक शिमला–171001, 30/1/2017
प्रतिलिपिः–

1. लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–3 को उनके पत्र संख्याः निधि–8/अ0भु0/एच.पी.–09–97555 /2016–17– 2081–84, दिनॉक 28.09.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

हस्ता/–
निदेशक उच्च शिक्षा
हिमाचल प्रदेश